



5767/22 INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ROHMA DEVI LICENSING
ACC CODE-UP 14430104
District Court, Prayagraj
Mob. No. 97519221
Fax No. 3011

Stamp No
Stamp issued Date
Stamp Reference
Doc. Reference
Created by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
Buyer Party
Seller Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount (Rs.)

: IN-UP7708910910393BU
: 26-Aug-2022 11:30 AM
: NEWIMPACC (SV) up14430104/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
: SUBIN-UPUP1443010446950325413126U
: V B S SINGROUR B H S DEGREE COLLEGE MANDARI
: Article 35 Lease
: NA
: V B S SINGROUR B H S DEGREE COLLEGE MANDARI
: V B S SINGROUR COLLEGE OF PHARMACY MANDARI
: V B S SINGROUR B H S DEGREE COLLEGE MANDARI
: 12,000
: (Twelve Thousand only)



Please verify or type in below the line

5767/22

5767/22

अमरी सिंह
मंत्री

सरोजना समिति

9C/1 सिविल रोड जयदेवपुर

प्रयागराज

लीज-डीड

बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय मन्दरी, प्रयागराज द्वारा प्रबन्धक विजय
बहादुर सिंह सिंगरौर पुत्र स्व० हरीराम सिंह निवासी ग्राम कांदी तहसील
फूलपुर जिला प्रयागराज

-प्रथम पक्ष

व

बाबू हरीराम सिंह कालेज आफ फार्मेसी मन्दरी, प्रयागराज द्वारा प्रबन्धक
विजय बहादुर सिंह सिंगरौर पुत्र स्व० हरीराम सिंह निवासी ग्राम कांदी
तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज।


-द्वितीय पक्ष लीज होल्डर


जो कि प्रथम पक्ष आराजियात संख्या -350/1 व 336 का 1/2 भाग
बाके मौजा मन्दरी परगना व तहसील सदर जिला प्रयागराज में निहित अपने
हक व हिस्सा के अंश भाग 8100 व०मी० पर स्थित भवन परिसर का
स्वामी व लैण्डलार्ड है। जिस को द्वितीय पक्ष प्रबन्धक बाबू हरीराम सिंह
कालेज आफ फार्मेसी मन्दरी, प्रयागराज के नाम से शिक्षा संस्थान
संचालित करने हेतु मु० 5000/- रूपया प्रतिमाह की दर से लीज पर देने
हेतु प्रथम पक्ष ने स्वीकार कर लिया। अतः दोनों पक्ष खूब सोच समझकर
बिना डराये धमकाये बहकाये व नाजायज दबाव के बिना इन व

वस्तुपत्र की पूर्ण स्वस्थ दशा में यह लीज डीड निम्नलिखित शर्तों के अधीन तहरीर करते हैं-

1. यह कि द्वितीय पक्ष की लीज दिनांक 01-09-2022 ई० से प्रारम्भ होगी।
2. यह कि द्वितीय पक्ष की लीज 15 साल के लिए होगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष की लीज किराये में कोई वृद्धि नहीं होगी।
4. यह कि द्वितीय पक्ष की लीज किराया मु० 5000/- रुपया प्रथम पक्ष को अग्रिम तौर पर अदा करेगा, बाकीदार हरगिज नहीं होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष की लीज वाले भाग में शिक्षण संस्थान के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष लीज वाले भाग में कोई तोड़-फोड़ नहीं करेगा और न ही शिकमी किरायेदार आबाद करेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष की लीज वाले भाग में अपने शिक्षण संस्थान के विस्तार व प्रगति हेतु अस्थायी निर्माण करा सकता है।
8. यह कि द्वितीय पक्ष लीज वाले भाग में बिजली एवं पानी का उपयोग अपने व्यय पर करेगा, उससे प्रथम पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा।

नहीं होगा।





संस्थान लक्ष्मी
9C/2 दिल्ली क्षेत्र जलियां


9. यह कि द्वितीय पक्ष लीज वाले भाग में कोई ऐसा कार्य या कृत्य हस्तगत नहीं करेगा, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो।
10. यह कि द्वितीय पक्ष की लीज अंग्रेजी माह की पहली तारीख को शुरू होकर उसी माह की अन्तिम तारीख को समाप्त होगी।
11. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वह बेदखली का हकदार होगा।
12. यह कि इस अनुबन्ध पत्र में अंकित शर्तों की पूर्ण पाबन्दी दोनों पक्ष व उनके हित प्रतिनिधियों पर भी लागू रहेगी।

अतः यह लीज अनुबन्ध पत्र लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

लीज वाली सम्पत्ति का विवरण

प्रयागराजियात संख्या -350/1 व 336 का 1/2 भाग वाके मौजा मन्दरी परगना तहसील सदर जिला प्रयागराज में निहित अपने कुल हक व हिस्सा के अर्ध भाग 8100 वर्गमी० पर स्थित परिसर सहित भवन।

ज्ञात रहे कि प्रस्तुत लीज अनुबन्ध पत्र, मु० 5000/- रुपया की दर से 5 साल के लिए हो रहा है, जिसमें मु० 60000/- रुपया प्रति वर्ष की दर से 5 साल का किराया मु० 900000/- रुपया होता है, लेकिन शासकीय


 अधिकारी
 जिला प्रयागराज

नियमानुसार 5 साल के किराया मु० 300000/- रुपये पर 4 प्रतिशत की दर से मु० 12000/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

दिनांक 26.08.2022

असाइनर कर्मी - *Urvi Singh Advocate*

गवाह-1 : सुभम सिंह पुत्र विनोद सिंह

मो०नं०-7897798604

आधार नं०- 5773 2516 4656

निवासी - म्योहरिया, म्योहर सराय अकिल
कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश-212216

Subham Singh



गवाह-1 : रितेश सिंह पुत्र ब्रिजेश सिंह

मो०नं०- 7505755739

आधार नं०- 6891 4381 4656

निवासी - म्योहरिया, म्योहर सराय अकिल
कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश-212216

Ritesh Singh



Urvi Singh


Chandra Mohan Singh

मेडी
कोलकाता समिति
BKA डिप्टिब वेड कार्टेजियन
बचपनपुर

Urvi Singh

संख्या । जिल्हा संख्या 12076 के मूळ 1 से 10 तक क्रमांक
पर दिनांक 16/08/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


पतुर्भुज लक्ष्मण ओपट्टेय
उप निबंधक : साहू प्रथम
प्रयागराज
26/08/2022

